न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मि0न0 — 249 / 2025

अनवान : —

1. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी नेठरांना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र नीकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. नरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र सिंहाग वादी
श्री कृष्ण भारी प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः— 30/03/2026

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 36/28 के मु0न0 3 के किला नं0 19/1, 20 कुल किता 2 की 0.2530 है0 नहरी, मु0न0 4 के किला नं0 25/1, 25/2 कुल किता 2 की 0.2410है0 नहरी, 0.0120 है0 गै0मु0 रास्ता, मु0न0 11 के किला नं0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3 कुल किता 12 की 0.8600 है0 नहरी, 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला, 0.0510 है0 गै0 मु0 रास्ता कुल खसरे 16 की 1.5180 है0 जिसमें 1.3540 है0 नहरी, 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला, गै0मु0 रास्ता 0.0630 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेश कुमार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 का जन्म से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:58:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 36/28 के मु0न0 3 के किला नं0 19/1, 20 कुल किता 2 की 0.2530 है0 नहरी, मु0न0 4 के किला नं0 25/1, 25/2 कुल किता 2 की 0.2410है0 नहरी, 0.0120 है0 गै0मु0 रास्ता, मु0न0 11 के किला नं0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3 कुल किता 12 की 0.8600 है0 नहरी, 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला, 0.0510 है0 गै0 मु0 रास्ता कुल खसरे 16 की 1.5180 है0 जिसमें 1.3540 है0 नहरी, 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला, गै0मु0 रास्ता 0.0630 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि साबित हैं। सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया हैं।

क्रियात्मक आदेश

अतः उपरोक्त विवेचानुसार तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 36/28 के मु0न0 3 के किला नं0 19/1, 20 कुल किता 2 की 0.2530 है0 नहरी, मु0न0 4 के किला नं0 25/1, 25/2 कुल किता 2 की 0.2410है0 नहरी, 0.0120 है0 गै0मु0 रास्ता, मु0न0 11 के किला नं0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3 कुल किता 12 की 0.8600 है0 नहरी, 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला, 0.0510 है0 गै0 मु0 रास्ता कुल खसरे 16 की 1.5180 है0 जिसमें 1.3540 है0 नहरी, 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला, गै0मु0 रास्ता 0.0630 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश की बजाए वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 2 नरेश कुमार को बहिस्सा बाराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में वर्णित भूमि यथा खाला–रास्ता यथावत् रहेगें। राजीनामा को निर्णय का भाग पढ़ा जावें। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/3/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:58:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मि0न0 – 249/2025

अनवान : –

1. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र नीकूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. नरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री कृष्ण भारी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 एनटीआर के खाता संख्या 36/28 के मु0न0 3 के किला नं0 19/1, 20 कुल किता 2 की 0.2530 है0 नहरी, मु0न0 4 के किला नं0 25/1, 25/2 कुल किता 2 की 0. 2410है0 नहरी, 0.0120 है0 गै0मु0 रास्ता, मु0न0 11 के किला नं0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3 कुल किता 12 की 0.8600 है0 नहरी, 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला, 0.0510 है0 गै0 मु0 रास्ता कुल खसरे 16 की 1.5180 है0 जिसमें 1.3540 है0 नहरी, 0.1010 है0 गै0 मु0 खाला, गै0मु0 रास्ता 0.0630 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश की बजाए वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 2 नरेश कुमार को बहिस्सा बाराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में वर्णित भूमि यथा खाला–रास्ता भूमि यथावत् रहेगी। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/3/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(भागीरथ राम)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:58:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner